7. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ :** सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –

(क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।

(ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।

(ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।

(घ) सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।

(ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेतर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।

(छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।

(ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना।

(झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।

(ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना।

उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।

(थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation)

(द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

नोट : परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागू होंगे।

3. **अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)**

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा –

(अ) अधिष्ठाता (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक (इ) चीफ प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष

(उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर

(ऊ) विभागों के अध्यक्ष (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन

(ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।

4. **प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)**

(क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –

1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

(ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –

1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।

5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)

(क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।

(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) **विश्वविद्यालय स्तर (University Level) :** कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द)	चीफ प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) **संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) :** अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य	(सदस्य)
(द)	प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

(1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

(2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।

(3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।

(4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।

(6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

(7) जाँच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।

(8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

(1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

(अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।

(आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।

(इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।

(ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।

(उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थिति पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

8. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)

(1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जाँच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुन: निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 11 अप्रैल 2023 की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।